POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 12.03.2025

1. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कराने वाला मुख्य/वांछित आरोपी लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद गिरफ्तार, कब्जे से पासपोर्ट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **12.01.2025** को दूरसंचार विभाग दिल्ली एवं थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस टीम द्वारा मिले इनपुट के आधार पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जे-39 सेक्टर-63, नोएडा में संचालित हो रहे अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए प्रबंधक शिवम कुमार एवं डायरेक्टर देवकी नंदन को **गिरफ्तार** कर जेल भेजा गया था। प्रबंधक शिवम कुमार एवं डायरेक्टर देवकी नंदन द्वारा मेसर्स किस्वा वेंचर्स इण्डिया प्रा0लि0 के नाम से अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर सेटअप का दुरूपयोग किया जा रहा था तथा विदेशो से आने वाली कॉल को नार्मल टेलीफोन कॉल पर स्विच करके उन्हे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तथा सरकारी खजाने और दूरसंचार को भारी राजस्व की हानि पहुचायी जा रही थी, जिस कारण प्रवर्तन एजेंसिया एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। उक्त सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318/(4)/61(2) बीएनएस व 20/21/25 भा0 टेलीग्राफ एक्ट व धारा 42 दूर संचार अधिनियम भी पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त अभियोग का मुख्य आरोपी अरशिद था, जिसके कहने पर प्रबंधक शिवम एवं डायरेक्टर देवकी नंदन द्वारा अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर सेटअप का दुरूपयोग किया जा रहा था। अभियुक्त अरशिद उपरोक्त अभियोग पंजीकृत होने के दिन से ही वांछित चल रहा था, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना सेक्टर-63, नोएडा से पुलिस टीम का गठन किया गया था तथा उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार अभियुक्त अरशिद के विरूद्ध लुक आउट नोटिस भी जारी कराया गया था।

दिनांक 07.03.2025 को कालीकट केरल एयरपोर्ट से सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद अरशिद कालीकट एयरपोर्ट पर बैठाया गया। प्राप्त सूचना पर थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा कालीकट केरल पंहुचकर दिनांक 08.03.2025 को अभियुक्त अरशिद को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

मोहम्मद अरशिद पंदिहरायिल पुत्र अमीर पंदिहरायिल निवासी पंदिहरायिल हाउस पोस्ट मायन्नूर वटकरा जनपद कोझीकोड केलीकट केरला (उम्र 30 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318/(4)/61(2) बीएनएस व 20/21/25 भा0 टेलीग्राफ एक्ट व धारा 42 दूर संचार अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्त का पासपोर्ट

अन्य बिंदु--

1- अभियुक्त अरशिद का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड डॉमेस्टिक कार्गो सर्विस के नाम से एक्सपोर्ट/इंपोर्ट का बिजनेस है, जिसका हेड ऑफिस दुबई में है। अन्य ऑफिस दिल्ली, मुंबई, सूरत बेंगलुरु, त्रिपुरा, कोचीन, कालीकट मल्लपुरम में स्थित है
2- एजूकेशन- अभियुक्त अरशिद B.B.A पास कर चुका है।
3- अभियुक्त अरशिद अपने बिजनेस के काम से दुबई गया था। अभियुक्त अपना बिजनेस का काम करके दुबई से अपने घर कालीकट केरल वापस आ रहा था।

2. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा गाली गलौच व मारपीट कर गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर अन्य गाड़ी को टक्कर मारने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार गाडी बरामद ।

घटना व कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-1 पुलिस द्वारा सेक्टर-16 कार मार्केट में गाली गलौच व मारपीट कर गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर अन्य गाड़ी को टक्कर मारने वाला 01 अभियुक्त सचिन कुमार लोहिया पुत्र महेश कुमार लाहिया निवासी यूएस/34/16 मोतीलाल नेहरू कैम्पस जेएनयू नई दिल्ली 110067 को आज दिनांक **12.03.2025** को कार मार्किट सेक्टर 16 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार गाडी नं0 यूपी 16 डीआर 4448 के पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

सचिन कुमार लोहिया पुत्र महेश कुमार लाहिया निवासी यूएस/34/16 मोतीलाल नहरू कैम्पस जेएनयू नई दिल्ली 110067

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 92/25 अंतर्गत धारा 115(2),352,351(2),281,324(2) बीएनएस थाना फेस-1 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त थार गाडी नं0 यूपी 16 डीआर 4448

3. थाना जारचा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **12.03.2025** को **थाना जारचा पुलिस** द्वारा मु0अ0सं0 42/2025 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. आशिक पुत्र चमन मलिक उर्फ गुल चमन 2. नकुल पुत्र बिजेन्द्र को वीरपुरा की झाल थाना जारचा क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा संगठित गैंग बनाकर जो कि गौकसी की घटना को अंजाम देकर अवैध धन अर्जित करते हैं तथा अनुचित आर्थिक लाभ हेतु गौकसी जैसी घटना को अंजाम देते है। उक्त गैंग के द्वारा किये जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए माह मार्च 2025 में इस गैंग के विरूद्ध गैंगस्टर का अभियोग मु0अ0सं0 42/2025 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आशिक पुत्र चमन मलिक उर्फ गुल चमन निवासी गली नं0 2 इस्लामाबाद चौकी मामन थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उम्र 20 वर्ष
2. नकुल पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम कोपा तहसील धामपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल पता अम्बेडकर भवन के पीछे ग्राम सूरजपुर थाना सुरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 0042/2025 धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधि0 थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर